उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय

इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ
दूरभाष संख्याः (0522) 2732193.
फैक्स संख्याः (0522) 2732185.

पत्रांक: उ.प्र.प्रा.वि./रा0प्र0प0/2009/ 1337 | दिनांक: 04 सितम्बर, 2009

सेवा में,

अति आवश्यक/महत्वपूर्ण

निदेशक/प्राचार्य
शासन द्वारा वित्त पोषित एवं निजी क्षेत्र में
स्थापित समस्त अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थान।

विषय: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय रू0 एक लाख से कम है, से प्रवेश के समय शुल्क न लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के पत्र सं0: उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2008/11045-11352 दिनांक 26.7.08 के साथ संलग्न शासनादेश: संख्या: 2418/सोलह-1-2008-135/2008 दिनांक 23.7.08 एवं विश्वविद्यालय के पत्र सं0 उ0प्र0 प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2008/ 10738-11044 दिनांक 26.7.08, पत्र सं0 उ0प्र0प्रा0वि0/रा0प्र0प0/2008/1414 दिनांक 7.10.08 तथा पत्र सं0 उ0प्र0प्रा0वि0/रा0प्र0प0/2008/1439 दिनांक 14.10.08 जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट uptu.ac.in & uptu.nic.in पर उपलब्ध है, में निहित व्यवस्थानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय एक लाख से कम है, से प्रवेश के समय शुल्क न लिये जाने की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के क्रम में शासन के अर्द्ध0शा0 पत्र संख्या: 3089/2008-सोलह-1-2008 दिनांक 5.8.08 द्वारा पुन: निर्देशित किया गया है कि शासन की नीति के अनुसार अनुसूचित जाति के रू0 एक लाख तक की वार्षिक आय सीमा तक के परिवारों के छात्रों से प्रवेश के समय प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाना है बल्कि प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा कराई जानी है। इसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य जाति के एक लाख तक की आय सीमा के परिवारों के छात्रों को भी राजकीय अभियंत्रण संस्थाओं की शुल्क की दरों के बराबर (25000/- रूपये) सीमा तक कमश: पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति की जानी है।

इस संबंध में शासन के समक्ष तथा संबंधित विभागों के समक्ष भी शिकायतें प्राप्त हुई है कि कतिपय अभियंत्रण संस्थाओं द्वारा प्रवेश के समय अनु0जाति/अनु0जनजाति के उन परिवारों के छात्रों से भी प्रवेश शुल्क की मांग की जा रही है जिनकी आय सीमा एक लाख रूपये वार्षिक तक है। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य जाति के परिवारों के छात्रों से भी प्रवेश शुल्क की एक मुश्त धनराशि जमा करायी जा रही है जबकि ऐसे छात्रों को भी रू0 25000/- (पचीस हजार रूपये) की सीमा तक प्रवेश शुल्क जमा नही कराया जाना है अर्थात सम्बन्धित विभाग से प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति की जानी है। सूचित है कि शासन स्तर से समाज कल्याण विभाग तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागों से प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु यथाशीघ्र प्रतिपूर्ति कर देने हेतु अनुरोध किया जा चुका है एवं इन विभागों से यह अपेक्षा की गयी है कि समस्त पात्र छात्रों की प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अन्तरण संबंधित अभियंत्रण संस्थाओं के खातों में यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

कमश: 2/

शासन के निर्देशों के कम में समस्त अभियंत्रण संस्थाओं से पुनः अपेक्षा है कि अनुसूचित जाति के रू0 एक लाख तक की आय सीमा तक के छात्रों से प्रवेश शुल्क जमा कराना अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं/ प्राविधानों के उल्लंघन की परिधि में आता है जिसके लिए संबंधित अभियंत्रण संस्थाओं के विरूद्ध दोषी पाये जाने पर कठोर कार्यवाही का विकल्प अपनाना पड़ सकता है, और उनके विरूद्ध गम्भीर विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

अतः अनुरोध है कि शासन द्वारा उपरोक्तानुसार दिये गये दिशा निर्देशों का संस्था स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। सूचित है कि उक्त के विषय में समय-समय पर समीक्षा की जायेगी और इसमें किसी प्रकार की शिकायत अथवा विचलन की स्थिति में संस्था संस्थाओं के विरूद्ध यथावश्यक कार्यवाही की बाध्यता होगी।

भवदीय,

(यू0 एस0 तोमर)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा उ0प्र0शासन, लखनऊ ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3. संबंधित समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4. निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0/ निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित है कि अपने स्तर से विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी को तदनुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. स्टाफ आफीसर, कुलपति कार्यालय, उ0प्र0प्रा0वि0, लखनऊ।

(यू0 एस0 तोमर)
कुलसचिव